न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 02/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पारीदेवी पत्नी स्व. डेडाराम 2. मदनलाल पुत्र स्व. डेडाराम 3. शेषाराम पुत्र स्व डेडाराम 4. सायरीदेवी पुत्री स्व. डेडाराम जातियान सिरवी निवासीगण बेरा सेवगों की ढीमडी केलावाद तहसील सोजत		1. चिमनाराम पुत्र आदुराम 2. दुर्गाराम पुत्र आदुराम 3. रूकमादेवी पत्नी आदुराम 4. रामाराम पुत्र आदुराम 5. शोभाराम पुत्र आदुराम जातियान सिरवी निवासीगण बेरा सेवगो की ढीमडी, केलवाद तहसील सोजत जिला पाली 6. तहसीलदार(भूमि धारक) सोजत जिलापाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. प्रतिवादी तहसीलदार सोजत उप0

दिनांक — 8/8/24

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद केलवाद के खसरा नम्बर 232, 234, 235, 59 से 65 कुल खसरा 10 कुल रकबा 10.8700 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हाने तथा वादी के निवेदन/ ईश्तदुआ युक्ति युक्त होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2022 को हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी कर वादस्थ भूमि का विभाजन प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने कमांक/राजस्व /553 दिनांक 20.03.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण, तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2024 अनुसार डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद केलवाद के खसरा नम्बर 232, 234, 235, 59 से 65 कुल खसरा 10 कुल रकबा 10.8700 हैक्टर की संयुक्त कब्जे

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	पारीदेवी पत्नी डेडाराम हिस्सा 1/4, मदनलाल पुत्र डेडाराम हिस्सा 1/4 शेषाराम पुत्र डेडाराम हिस्सा 1/4 सायरी देवी पुत्री डेडाराम 1/4 कौम सिरवी सा0 देह खातेदार	60 65/1 234	2.5450 0.2000 2.5350	चा.प्र. 1.40 जा.अ.0. 5450 बंजड 0.04 बा0दो0	44.80 5.9950 1.20 0.32 10.14
		03	5.2800		63.7350
2.	चिमनाराम पुत्र आदुराम हिस्सा 1/5 दुर्गाराम पुत्र आदुराम हिस्सा 1/5 रूकमादेवी पत्नी आदुराम हिस्सा 1/5 रामाराम पुत्र आदुराम हिस्सा 1/5 शोभाराम पुत्र आदुराम हिस्सा 1/5 रहन सम्पूर्ण प्रस्तावित खाता संख्या बी एसबीआई बगडी कौम सिरवी सा0 देह खातेदार	59 54 65 60/1 232 234/1 235	2.14 0.28 0.22 0.1050 0.85 0.2350 1.45	चा.प्र. जा.अ. बंजड चा.प्र. बंजड बा0दो0	10.88 17.82 0.36 5.76 0.66 0.08 0.64 0.40 0.96 0.6050 0.4000 3.400.64 5.80
		07	5.2800		48.3450
3	सामलाती खातेदार खाता संख्या 19 अनुसार	61 62 63	0.21 0.01 0.09	गै0मु0 रास्ता गै0मु0 बेरा गै0मु0 सडा	
		03	0.3100		

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 08/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला पाली (राज.)

डिकी बमुकददमें इब्तादाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पारीदेवी पत्नी स्व. डेडाराम 2. मदनलाल पुत्र स्व. डेडाराम 3. शेषाराम पुत्र स्व डेडाराम 4. सायरीदेवी पुत्री स्व. डेडाराम जातियान सिरवी निवासीगण बेरा सेवगों की ढीमडी केलावाद तहसील सोजत		1. चिमनाराम पुत्र आदुराम 2. दुर्गाराम पुत्र आदुराम 3. रूकमादेवी पत्नी आदुराम 4. रामाराम पुत्र आदुराम 5. शोभाराम पुत्र आदुराम जातियान सिरवी निवासीगण बेरा सेवगो की ढीमडी, केलवाद तहसील सोजत जिला पाली 6. तहसीलदार(भूमि धारक) सोजत जिलापाली

राजस्व वाद 02/2022

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी तथा तहसीलदार, सोजत प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद केलवाद के खसरा नम्बर 232, 234, 235, 59 से 65 कुल खसरा 10 कुल रकबा 10.8700 हैक्टर कृषि भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	पारीदेवी पत्नी डेडाराम हिस्सा 1/4,' मदनलाल पुत्र डेडाराम हिस्सा 1/4 शेषाराम पुत्र डेडाराम हिस्सा 1/4 सायरी देवी पुत्री डेडाराम 1/4 कौम सिरवी सा0 देह खातेदार	60 65/1 234	2.5450 0.2000 2.5350	चा.प्र. 1.40 जा.अ.0. 5450 बंजड 0.04 बा0दो0	44.80 5. 9950 1.20 0.32 10.14
		03	5.2800		63. 7350
2.	चिमनाराम पुत्र आदुराम हिस्सा 1/5 दुर्गाराम पुंत्र आदुराम हिस्सा 1/5 रूकमादेवी पत्नी आदुराम हिस्सा 1/'5 रामाराम पुत्र आदुराम हिस्सा 1/5 शोभाराम पुत्र आदुराम हिस्सा 1/5 रहन सम्पूर्ण प्रस्तावित खाता संख्या बी एसबीआई बगडी कौम सिरवी सा0 देह खातेदार	59 54 65 60/1 232 234/1 235	2.14 0.28 0.22 0.1050 0.85 0.2350 1.45	चा.प्र. जा.अ. बंजड चा.प्र. बंजड बा0दो0	10.88 17.82 0.36 5.76 0.66 0.08 0.64 0.40 0.96 0. 6050 0.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

					4000 3. 400. 64 5.80
		07	5.2800		48. 3450
3	सामलाती खातेदार खाता संख्या 19 अनुसार	61 62 63	0.21 0.01 0.09	गै0मु0 रास्ता गै0मु0 वेरा गै0मु0 सडा	
		03	0.3100		

प्रतिवादी वादी की भूमि में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबद्ध किया जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08/08/24 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.